छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgec.cg@nic.in

//संशोधित आदेश//

रायपुर दिनांक 27/12/2024

क्रमांक/एफ–53–2/तीन(दो)/न.पा./निर्वा.नामा./2024/2855 छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 (1), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32 (1) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2024–25 कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम (समय–अनुसूची) क्र.1546, दिनांक 10.09.2024, क्र. 1702, दिनांक 27.09.2024, क्र. 1966, दिनांक 18.10.2024, क्र.1978, दिनांक 21.10.2024 एवं क्र. 2092, दिनांक 06.11.2024 में संशोधन करते हुए 1 जनवरी 2025 के प्रतिनिर्देश से निम्नानुसार कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता हैः–

निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम

	द्वितीय चरण	
12.	निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना	31.12.2024 मंगलवार से
13.	मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराना	31.12.2024 मंगलवार से
14.	दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय	06.01.2025 सोमवार अपरान्ह 03.00 बजे
15.	दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख	09.01.2025 गुरूवार
16.	प्ररूप क–1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10.01.2025 शुक्रवार
17.	प्ररूप क–1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि	11.01.2025 शनिवार
18.	दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख	निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर
19.	परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना	14.01.2025 मंगलवार तक
20.	चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना	
21.	अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना	
22	निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	15.01.2025 बुधवार

(राज्य निर्वाचन आयुक्त महो.द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्रमांक / एफ–53–2 / तीन(दो) / न.पा. / निर्वा.नामा. / 2024 / 2856 नवा रायपुर दिनांक 27 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।

2. सचिव, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।

4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।

6. संभागीय आयुक्त, समस्त को सूचनार्थ।

7. संचालक, जनसंपर्क रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला–समस्त (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव, मुख्य लेखाधिकारी, अवर सचिव, लेखाधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निज सचिव एवं सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त शाखा प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. गार्ड फाईल।

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट–एक

नगरपालिका आम निर्वाचन 2024

क्र.	संभाग	क्र.	जिला	स.क्र.	नगरपालिका का नाम	वार्डों की संख्या
1-	बिलासपुर	1	बिलासपुर	1	नगरपालिक निगम बिलासपुर	70
				2	नगरपालिका परिषद तखतपुर	15
				3	नगरपालिका परिषद रतनपुर	15
				4	नगरपालिका परिषद बोदरी	15
				5	नगर पंचायत बिल्हा	15
				6	नगर पंचायत कोटा	15
				7	नगर पंचायत मल्हार	15
		योग			7	160
		2	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	8	नगरपालिका परिषद् पेन्ड्रा	15
				9	नगरपालिका परिषद् गौरेला	15
				10	नगर पंचायत मरवाही	15
		योग			3	45
		3	मुंगेली	11	नगरपालिका परिषद मुंगेली	22
				12	नगरपालिका परिषद लोरमी	18
				13	नगर पंचायत पथरिया	15
				14	नगर पंचायत सरगांव	15
				15	नगर पंचायत बरेला	15
				16	नगर पंचायत जरहागांव	15
		योग			6	100
		4	जांजगीर–चांपा	17	नगरपालिका परिषद जांजगीर–नैला	25
				18	नगरपालिका परिषद चांपा	27
				19	नगरपालिका परिषद अकलतरा	20
				20	नगर पंचायत खरौद	15
				21	नगर पंचायत शिवरीनारायण	15
				22	नगर पंचायत बलौदा	15
				23	नगर पंचायत राहौद	15
				24	नगर पंचायत नवागढ़	15
				25	नगर पंचायत सारागांव	15
				26	नगर पंचायत नरियरा	15
				27	नगर पंचायत पामगढ़	15
		योग			11	192
		5	सक्ती	28	नगरपालिका परिषद सक्ती	18
				29	नगर पंचायत नयाबाराद्वार	15
				30	नगर पंचायत अड़भार	15
				31	नगर पंचायत जैजेपुर	15
				32	नगर पंचायत चंद्रपुर	15
				33	नगर पंचायत डभरा	15
		योग			6	93
		6	कोरबा	34	नगरपालिक निगम कोरबा	67
				35	नगरपालिका परिषद दीपका	21
				36	नगरपालिका परिषद कटघोरा	15
				37	नगरपालिका परिषद बांकी मोंगरा	30
				38	नगर पंचायत पाली	15
				39	नगर पंचायत छुरीकला	15
		योग			6	163

		7	रायगढ़	40	नगरपालिक निगम रायगढ़	48
				41	नगरपालिका परिषद खरसिया	18
				42	नगर पंचायत पुसौर	15
				43	नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर	15
				44	नगर पंचायत घरघोड़ा	15
				45	नगर पंचायत धरमजयगढ़	15
				46	नगर पंचायत लैलूंगा	15
		योग			7	141
		8	सारंगढ़–बिलाईगढ़	47	नगर पंचायत बरमकेला	15
				48	नगर पंचायत सरिया	15
				49	नगर पंचायत बिलाईगढ़	15
				50	नगर पंचायत भटगांव	15
				51	नगर पंचायत सरसींवा	15
				52	नगर पंचायत पवनी	15
		योग			6	90
2-	सरगुजा	9	सूरजपुर	53	नगरपालिका परिषद सूरजपुर	18
				54	नगर पंचायत विश्रामपुर	15
				55	नगर पंचायत जरही	15
				56	नगर पंचायत भटगांव	15
				57	नगर पंचायत प्रतापपुर	15
		योग			5	78
		10	बलरामपुर	58	नगरपालिका परिषद बलरामपुर	15
				59	नगरपालिका परिषद रामानुजगंज	15
				60	नगर पंचायत राजपुर	15
				61	नगर पंचायत कुसमी	15
				62	नगर पंचायत वाड्रफनगर	15
		योग			5	75
		11	सरगुजा	63	नगरपालिक निगम अम्बिकापुर	48
				64	नगर पंचायत लखनपुर	15
				65	नगर पंचायत सीतापुर	15
		योग			3	78
		12	कोरिया	66	नगर पंचायत पटना	15
		योग			1	15
		13	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	67	नगरपालिक निगम चिरमिरी	40
				68	नगरपालिका परिषद मनेन्द्रगढ़	22
				69	नगर पंचायत झगराखाण्ड	15
				70	नगर पंचायत खोंगापानी	15
				71	नगर पंचायत नई लेदरी	15
				72	नगर पंचायत जनकपुर	15
		योग			6	122
		14	जशपुर	73	नगरपालिका परिषद जशपुरनगर	20
				74	नगर पंचायत कुनकुरी	15
				75	नगर पंचायत बगीचा	15
				76	नगर पंचायत पत्थलगांव	15
				77	नगर पंचायत कोतबा	15
		योग			5	80

3-	रायपुर	15	रायपुर	78	नगरपालिक निगम रायपुर	70
				79	नगरपालिका परिषद आरंग	17
				80	नगरपालिका परिषद गोबरा–नवापारा	21
				81	नगरपालिका परिषद तिल्दा	22
				82	नगरपालिका परिषद मंदिर हसौद	20
				83	नगरपालिका परिषद अभनपुर	15
				84	नगर पंचायत कूरा	15
				85	नगर पंचायत माना कैम्प	15
				86	नगर पंचायत खरोरा	15
				87	नगर पंचायत समोदा	15
				88	नगर पंचायत चंदखुरी	15
		योग			**11**	**240**
		16	गरियाबंद	89	नगरपालिका परिषद गरियाबंद	15
				90	नगर पंचायत राजिम	15
				91	नगर पंचायत फिंगेश्वर	15
				92	नगर पंचायत छुरा	15
				93	नगर पंचायत कोपरा	15
				94	नगर पंचायत देवभोग	15
		योग			**6**	**90**
		17	बलौदाबाजार–भाटापारा	95	नगरपालिका परिषद बलौदाबाजार	21
				96	नगरपालिका परिषद भाटापारा	31
				97	नगरपालिका परिषद सिमगा	15
				98	नगर पंचायत पलारी	15
				99	नगर पंचायत लवन	15
				100	नगर पंचायत कसडोल	15
				101	नगर पंचायत टुण्डरा	15
				102	नगर पंचायत रोहांसी	15
		योग			**8**	**142**
		18	महासमुन्द	103	नगरपालिका परिषद महासमुंद	30
				104	नगरपालिका परिषद बागबाहरा	15
				105	नगरपालिका परिषद सरायपाली	15
				106	नगर पंचायत तुमगांव	15
				107	नगर पंचायत बसना	15
				108	नगर पंचायत पिथौरा	15
		योग			**6**	**105**
		19	धमतरी	109	नगरपालिक निगम धमतरी	40
				110	नगर पंचायत आमदी	15
				111	नगर पंचायत कुरूद	15
				112	नगर पंचायत भखारा	15
				113	नगर पंचायत मगरलोड	15
				114	नगर पंचायत नगरी	15
		योग			**6**	**115**
		20	दुर्ग	115	नगरपालिक निगम दुर्ग	60
				116	नगरपालिका परिषद कुम्हारी	24
				117	नगरपालिका परिषद अहिवारा	15
				118	नगरपालिका परिषद् अमलेश्वर	18
				119	नगर पंचायत धमधा	15
				120	नगर पंचायत पाटन	15
				121	नगर पंचायत उतई	15
		योग			**7**	**162**

4-	दुर्ग	21	बालोद	122	नगरपालिका परिषद बालोद	20
				123	नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा	27
				124	नगर पंचायत डौण्डी	15
				125	नगर पंचायत अर्जुन्दा	15
				126	नगर पंचायत डौण्डालोहारा	15
				127	नगर पंचायत गुण्डरदेही	15
				128	नगर पंचायत गुरूर	15
				129	नगर पंचायत चिखलाकसा	15
		योग			**8**	**137**
		22	बेमेतरा	130	नगरपालिका परिषद बेमेतरा	21
				131	नगर पंचायत बेरला	15
				132	नगर पंचायत साजा	15
				133	नगर पंचायत थानखम्हरिया	15
				134	नगर पंचायत देवकर	15
				135	नगर पंचायत परपोड़ी	15
				136	नगर पंचायत नवागढ़	15
				137	नगर पंचायत दाढ़ी	15
				138	नगर पंचायत भिंभौरी	15
				139	नगर पंचायत कुसमी	15
		योग			**10**	**156**
		23	राजनांदगांव	140	नगरपालिक निगम राजनांदगांव	51
				141	नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़	24
				142	नगर पंचायत डोंगरगांव	15
				143	नगर पंचायत छुरिया	15
				144	नगर पंचायत लाल बहादुर नगर	15
		योग			**5**	**120**
		24	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	145	नगर पंचायत छुईखदान	15
				146	नगर पंचायत गण्डई	15
		योग			**2**	**30**
		25	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	147	नगर पंचायत अंबागढ़–चौकी	15
		योग			**1**	**15**
		26	कबीरधाम	148	नगरपालिका परिषद कवर्धा	27
				149	नगरपालिका परिषद पण्डरिया	18
				150	नगर पंचायत पिपरिया	15
				151	नगर पंचायत पाण्डातराई	15
				152	नगर पंचायत बोड़ला	15
				153	नगर पंचायत सहसपुर लोहारा	15
				154	नगर पंचायत इंदौरी	15
		योग			**7**	**120**
		27	बस्तर	155	नगरपालिक निगम जगदलपुर	48
				156	नगर पंचायत बस्तर	15
		योग			**2**	**63**
		28	कोण्डागांव	157	नगरपालिका परिषद कोण्डागांव	22
				158	नगर पंचायत केशकाल	15
				159	नगर पंचायत फरसगांव	15
		योग			**3**	**52**

5-	बस्तर	29	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	160	नगरपालिका परिषद दन्तेवाड़ा	15
				161	नगरपालिका परिषद बड़ेबचेली	18
				162	नगरपालिका परिषद किरंदुल	18
				163	नगर पंचायत गीदम	15
				164	नगर पंचायत बारसूर	15
		योग			**5**	**81**
		30	सुकमा	165	नगरपालिका परिषद सुकमा	15
				166	नगर पंचायत दोरनापाल	15
		योग			**2**	**30**
		31	उत्तर बस्तर कांकेर	167	नगरपालिका परिषद कांकेर	21
				168	नगर पंचायत चारामा	15
				169	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	15
				170	नगर पंचायत अंतागढ़	15
				171	नगर पंचायत पंखाजूर	15
		योग			**5**	**81**
		32	नारायणपुर	172	नगरपालिका परिषद नारायणपुर	15
		योग			**1**	**15**
		33	बीजापुर	173	नगरपालिका परिषद बीजापुर	15
		योग			**1**	**15**
महायोग	**5**	**33**		**173**		**3201**

परिशिष्ट–दो

नगरपालिका उप निर्वाचन 2024

क्र.	संभाग	क्र.	जिला	स.क्र.	नगरपालिका का नाम	वार्ड क्रमांक
1	दुर्ग	1	दुर्ग	1	नगरपालिक निगम भिलाई	24
						35
				2	नगरपालिक निगम भिलाई चरौदा	32
				3	नगरपालिक निगम रिसाली	34
2	बस्तर	2	सुकमा	4	नगर पंचायत कोन्टा	13
महायोग	**2**	**2**		**4**		**5**

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, **ई-मेल** : cgec.cg@nic.in

क्रमांक एफ–53–2/तीन(दो)/न.पा./निर्वा.नामा./2024/2857 नवा रायपुर, दिनांक 27/12/2024

प्रति,

कलेक्टर एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन),
जिला–समस्त (छ.ग.)

विषयः–01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भः–(1) आयोग का आदेश क्र.1546, दिनांक 10.09.2024, क्र. 1702, दिनांक 27.09.2024, क्र. 1966, दिनांक 18.10.2024, क्र.1978, दिनांक 21.10.2024 एवं क्र. 2092, दिनांक 06. 11.2024

(3) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 702 दिनांक 08 नवम्बर 2024

––000––

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 जारी किया गया है तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 702 दिनांक 08 नवम्बर 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 को संशोधित किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु अध्यादेशों/राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 12 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 30 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3, 8(2), 8(3), 9 एवं 9(ख) में हुए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा नियत **01 जनवरी 2025** की अर्हता तिथि के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए नगरपालिकाओं के वार्डों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अधिनियमों एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में आवश्यक संशोधन करते हुए निर्वाचक नामावली में सभी पात्र व्यक्तियों के नाम को स्वप्रेरणा से सम्मिलित किया जाना प्रावधानित किया गया है। उक्त संबंध में आयोग द्वारा निम्नानुसार विस्तृत निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. विधानसभा की अद्यतन निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचकों का नाम नगरपालिकाओं के वार्डों की निर्वाचक नामाावली में सम्मिलित किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा की निर्वाचक नामावली की अद्यतन सूची में 01 जनवरी 2025 की स्थिति में पात्र (18 वर्ष पूर्ण कर चुके) सभी मतदाताओं की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से वार्डवार विभाजित कर समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध करावें।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में विहित दावा प्ररूप (क/क–1) उपलब्ध करावें, ताकि वे सभी पात्र व्यक्तियों को दावा फार्म/प्ररूप उपलब्ध करा सके।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी, दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु चयनित स्थलों तथा निर्धारित समयावधि के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करावें, जिससे पात्र व्यक्तियों को दावा आवेदन प्रस्तुत करने में कोई असुविधा न हो।

4. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचित किया जावे ताकि निर्वाचक नामावली में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित करने में उनसे सहयोग लिया जा सके।

5. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रयास करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों से विहित प्ररूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि 01 जनवरी 2025 की स्थिति में पात्र व्यक्तियों द्वारा पूर्व में विहित प्ररूप में दावा आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपात्र मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, तो ऐसे आवेदकों से पुनः आवेदन प्राप्त किये बगैर ही गहन जांच उपरांत पात्रता के संबंध में विनिश्चय कर निराकरण किया जावे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी दावा आवेदन पत्रों का निराकरण छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 4, 5 एवं 6 के अपेक्षानुसार किया जावे।

01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जावेगा तथा 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली का मुद्रण पूर्व में करा लिया गया होगा और पुनः इसके मुद्रण की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 01 जनवरी 2025 की स्थिति में विधानसभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं में से छूटे हुए मतदाताओं को ही नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाना है और इस प्रकार मतदाताओं को दर्ज किये जाने पर तैयार अनुपूरक अनुसूची की पी.डी.एफ. की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जावेगी तथा पी.डी.एफ. की जांच उपरांत त्रुटिरहित पी.डी.एफ. को अंतिम मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जावे।

6. यद्यपि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण सावधानीपूर्वक किया जावेगा तथा किसी पात्र निर्वाचक का नाम छूटने की संभावना नहीं है तथापि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आये कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो पाया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम नामावली में सम्मिलित कर सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 9(ख) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किया जाना प्रावधानित किया गया है। **नियम 9(ख) अंतर्गत स्वप्रेरणा से** निर्वाचक नामावली में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाए :–

क. यदि किन्हीं कारणों से पात्र मतदाताओं के नामों को निर्वाचक नामावली में जोड़ा नहीं जा सका है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को स्वप्रेरणा से गहन जांच उपरांत नगरपालिकाओं के वार्डों की निर्वाचक नामावली में जोड़ा जा सकता है।

ख. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा गहन जांच कराने उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने पर तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने उपरांत ही स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में परिवर्धन की कार्यवाही किया जावे।

ग. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किसी प्रविष्टि का परिवर्धन करने के संबंध में लिये गये निर्णय के कारणों को अभिलिखित किया जावे और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे निर्णय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराया जावे।

घ. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में यह भी उल्लेख किया जावे कि उक्त विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध निर्वाचन नियम 6(5) के अनुसार निर्धारित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

ङ. अपील प्राधिकारी द्वारा व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने और समुचित जांच करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित किया जावे तथा इस संबंध में अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

च. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही उपरांत स्वप्रेरणा से जोड़े गये नामों की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायेगा।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे (क/क–1) के निपटारे के पश्चात् नियमानुसार अनुपूरक सूची तैयार किया जावे। तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जावे तथा तत्पश्चात् तैयार अनुपूरक सूची के पी.डी.एफ. की सूक्ष्मता से जांच की जावे।

8. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पी.डी.एफ. की जांच उपरांत त्रुटिरहित पी.डी.एफ. को अंतिम मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जावे।

9. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सहयोग कर रहे अन्य अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचक नामावली आदि तैयार करने के संबंध में पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3(क) में एवं मिथ्या घोषणाएं किये जाने पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3(ख) में दण्ड (कारावास) तथा जुर्माने का प्रावधान है।

10. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस निर्देश में वर्णित समस्त संशोधनों/अधिनियमों/नियम का गहनता से अध्ययन करने उपरांत पूर्ण सावधानी से पुनरीक्षण की कार्यवाही संपादित की जावे, ताकि शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।

(राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर